

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2021—चैत्र 5, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2021

क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच(15).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 2 के खण्ड (प क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच (2), दिनांक 18 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

“शब्दों www.mp.nic.in/comtaxab” के स्थान पर शब्दों “mpctab.mp.gov.in” प्रतिस्थापित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2021

क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-53-2016-1-पांच(15), दिनांक 26 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th March 2021

No. F A 3-53-2016-1-V(15).—In exercise of the powers conferred by clause (pa) of Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F A-3-53-2016-1-V-(2), dated 18th January, 2018, namely:—

AMENDMENT

For the words “www.mp.nic.in/comtaxab” the words “mpctab.mp.gov.in” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.